समाहरणालय, मुंगेर
(जिला आपूर्ति शाखा)
आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–प्र0 07– ज0वि0प्र0 (अनुज्ञप्ति)–05/2025–I/235208/2025/खाद्य, पटना, दिनांक–30.04.2025 के आलोक में '' बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016'' में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024में निहित प्रावधानों के तहत् योग्य एवं सक्षम आवेदकों से जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु सदर, मुंगेर अनुमण्डल अन्तर्गत कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध नये रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सदर, मुंगेर अनुमण्डल अन्तर्गत कोटिवार जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति निम्न प्रकार से है :–

जिला :–मुंगेर

क्र0	अनुमंडल का नाम	जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु रिक्ति	गैर आरक्षित वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर मुंगेर	128	75	13	30	5	0	0	5

1. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार से होगी :–
(i) स्वयं सहायता समूह, (ii) महिलाओं की सहयोग समितियाँ, (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (iv) शिक्षित बेरोजगार, (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाऐगी।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु न्यूनतम योग्यता आवेदक का मैट्रिक पास और व्यस्क होना आवश्यक है। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–

(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेगें।
(ii) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।
(iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
(iv) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलें में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
(vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

समय–समय पर बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश–2016 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र अनुसूचि–1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगे। विहित प्रपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

1 आवासीय प्रमाण पत्र।
2 आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र
3 चरित्र प्रमाण–पत्र। (पुलिस अधीक्षक से निर्गत)
4 आय प्रमाण पत्र।
5 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
6 अनियोजन प्रमाण पत्र।
7 व्यापार स्थल का विवरणी संबंधी कागजात ।
8 पर्याप्त पूँजी का साक्ष्य।
9 शपथ पत्र।
10 दिव्याँग श्रेणी के लाभ हेतु दिव्याँगता प्रमाण पत्र।

शेष प्रखंडवार/निकायवार/पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटीवार रिक्ति एवं विहित प्रपत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 हेतु मुंगेर जिला वेबसाईट **www.munger.bih.nic.in** या अनुमंडल कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति **दिनांक–25 जून 2025 के संध्या 5.00 बजे तक** अपना आवेदन अनुमण्डल कार्यालय, सदर, मुंगेर में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR- 003842 (Food) 2025-26

जिला पदाधिकारी, मुंगेर

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।